झारखण्ड सरकार

झारखण्ड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

झारखण्ड, राँची।

प्रेस विज्ञाप्ति

राज्य खाद्य निदेशालय, झारखण्ड एवं यूनिसेफ, झारखण्ड के सहयोग से राज्य खाद्य संरक्षा अधिनियम (FSSA) राष्ट्रीय आयोडिन न्यूवता विकार कार्यक्रम (NIDDCP) तथा On line Food Registration & Licensing पर दो दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ IPH सभागार, आर0 सी0 एच0, नामकुम में निदेशक प्रमुख (खाद्य) डॉ0 प्रवीण चन्द्र के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिलों से अभिहित पदाधिकारी –सह– अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खाद्य संरक्षा अधिकारी तथा जिला डाटा प्रबंधक भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण पाँच बैचों में आयोजित की जा रही है। तकनीकि सत्र में श्री जे0 के0 सिंह, स्टेट कॉडिनेटर (फूड सेफटी) ने Food Safety Legislation पर विस्तृत प्रकाश डाला एवं विवेचन किया।

आज से FSSA]Universal Salt Iodization तथा On line Food Registration & Licensing System पर चर्चा की गई। कार्यशाला में जिलों में चल रहें On line Food Registration & Licensing लागू करने हेतु FSSAI के NISG प्रतिनिधि ने प्रतिभागियों को जानकारी दी। विक्रेता संघ की भूमिका पर श्री ललित माहेश्वरी, अध्यक्ष JSISHF के द्वारा चर्चा की गई। राज्य में आयोडिन नमक के प्रचार प्रसार में NIDDCP कोषांग की भूमिका पर डॉ0 विनोद कुमार, नोडल पदाधिकारी, NIDDCP के द्वारा यह बजाया गया की राज्य में अधिकांश लोग आयोडिन युक्त नमक नहीं खते है उसके लिए कोषांग विशेष कर ग्रामिणों में प्रचार प्रसार कर रही है कि आयेडिन युक्त नमक के क्या क्या फायदे है और इसका उपयोग करने पर घेघा, मानसिक विक्रिती एवं गर्भपात से बचा जा सकता है। झारखण्ड राज्य में स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति तथा सूक्ष्म पोषण तत्वों की वृद्धि में भूमिका पर दीपिका शर्मा, पोषण विशेषज्ञ के द्वारा प्रकाश डाला गया।

इस कार्यशाला में श्री के0 पी0 सिंह खाद्य संरक्षण पदाधिकारी द्वारा कार्यशाला के अगले दिन सैम्पल एकत्र करने की परिक्रिया पर चर्चा की जायेगी।

इस दौरान कार्यशाला में राज्य भर के सभी अपर मुख्य चिक्तिसा पदाधिकारी, फुड इन्सपेक्टर एवं जिला डाटा प्रबंधक कुल 60 प्रतिभागी भाग ले रहें हैं।

नोडल ऑफिसर
आई0 ई0 सी0 कोषांग